पंजीकरण सं. 93/ श्रीगंगानगर/90-91

E-mail - President @ uss-sangaria.org

उपभोक्ता संरक्षण समिति

संगरिया - 335063 जिला हनुमानगढ़ (राज.)

क्रमांक उप.सं. स./2026/60

दिनांक 13.06.2026

प्रेषित –

श्रीमान सचिव महोदय,

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण

नई– दिल्ली

विषय – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के इस परामर्श पत्र DRAFT NOTIFICATION Telecom Consumers Complaint Redressal (Fourth Amendment) Regulation, 2026 के संदर्भ में ।

श्रीमान जी,

भारत में दूरसंचार सेवाओं में शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता के हित में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव प्रेषित हैं–

1. कस्टमर केयर से समस्या का समाधान न होने के स्थिति में अपील का प्रावधान है। लेकिन सेवा प्रदात्ता कम्पनियों के आंकडों को देखने से प्रथम दृष्टया ही प्रकट है कि सेवा प्रदात्ता कम्पनियों अपीलकर्त्ता को हतोत्साहित करती है,यहां तक की अपील को संधारित ही नहीं करती है। इस के लिए कस्टमर केयर के बाद अपील प्रावधान के लिए अपील के पंजीरण के लिए प्राधिकरण के पोर्टल के माध्यम से की जावे या प्राधिकरण अपील को प्राप्त कर उनका प्रेषण सम्बन्धित सेवा प्रदात्ता कम्पनी को करे तथा अपील में पंजीकृत उपभोक्ता समुह की सहमति के बाद उसका प्रकाश प्राधिकरण के पोर्टल पर हो।
2. प्राधिकरण के स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए लोकपाल व्यवस्था का प्रावधान किया जावे। लोकपाल के द्वारा अपीलीय प्रावधान के माध्यम से समस्या का निराकरण नहीं होने या सेवा प्रादत्ता कम्पनियों के द्वारा उपभोक्ता की समस्या का संज्ञान न लिए जाने के प्रकरण की सुनवाई का अधिकार हो।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के इस परामर्श पत्र Telecom Consumers Complaint Redressal (Fourth Amendment) Regulation, 2026 के संदर्भ सुझाव सादर प्रेषित हैं।

(संजय आर्य)
19.06.2026

अध्यक्ष

उपभोक्ता संरझण समिति संगरिया

जिला हनुमानगढ राजस्थान

पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समुह

समिति गतिविधियों एवं उपभोक्ता जानकारी पर वैबसाईट
WWW.USS-SANGARIA.ORG

उपभोक्ता जागरुकता हेतु मासिक समाचार पत्र
अग्रिम उपभोक्ता

" जागरुक उपभोक्ता - सुरक्षित उपभोक्ता "